पाँच रुपये FIVE RUPEES — कोर्ट फी COURT FEE — भारत INDIA — 5 रु. Rs. 5 (×3)

न्यायालय राजस्व मंडल म०प्र०, ग्वालियर

प्र०क्र० 12015-15 निगरानी

निगरानी 1601-PBR-15

श्रीमती ममता पत्नी स्व० भारतसिंह
आयु 38 वर्ष व्यवसाय घर कार्य
निवासी-बेलदार पुरा कोटा लश्कर,
ग्वालियर ।

---------- प्रार्थिनी

श्री एस. एन. शर्मा एडवो०
द्वारा आज दि. 19.10.15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

श्रीमती मीना पुत्री स्व० हरभजन पत्नी
श्री भगवान दास निवासी-बल्लासीपुरा
शिन्दे की छावनी लश्कर, ग्वालियर ।

-------- प्रत्यार्थी

एस. एन. शर्मा
एडवोकेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता विरुद्ध पारित
द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह तहसीलदार, ग्वालियर प्र०क्र० 6/14-15
अ-12 आदेश दिनांक 15-6-15 ।

R 1601-PBR/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 160—पीबीआर/2015 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26—11—2015	उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी तहसीलदार , ग्वालियर के आदेश दिनांक 15—6—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसीलदार द्वारा दिनांक 15—6—2015 को कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से तहसीलदार के आदेश दिनांक 10—6—2015 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है । दिनांक 10—6—2015 को तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रकरण में सीमांकन बावत् किसी वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन आदि वर्तमान में प्रचलित नहीं है और सीमांकन की कार्यवाही से किसी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 2— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—6—2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	